

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2014—कार्तिक 7, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-3-6-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, तीन वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, रीवा संभाग, रीवा में सदस्य के पद पर नियुक्त करती है.

No. F-3-6-2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukt, hereby appoint Shri Jyoti Kumar Shrivastav as a Member of the Divisional Vigilance Committee, Rewa Division, Rewa for the period of three years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.